



सेवा में,

श्रीमति शकुन्तला देवी एवं अन्य,
पति-स्व: सुरेश प्रसाद सिंह,
के०ऑफ०-श्री अरुण कुमार सिंह,
कश्यप ग्रीन होमस प्रा०लि०,
शैलजा टावर, कंकड़बाग मेन रोड, पटना-20

विषय :-

प्लॉन केस सं०-P-/DIGHA-PRN-1B+G+7/116/2020 ऑटो मैप आवेदन संख्या-PMC BPAS-00350/2020/BP की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन संख्या- P-/DIGHA-PRN-1B+G+7/116/2020 ऑटो मैप आवेदन संख्या-PMC BPAS-00350/2020/BP के संदर्भ में श्रीमति शकुन्तला देवी एवं अन्य, पति-स्व: सुरेश प्रसाद सिंह, के०ऑफ०-श्री अरुण कुमार सिंह, कश्यप ग्रीन होमस प्रा०लि०, शैलजा टावर, कंकड़बाग मेन रोड, पटना-20 के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित..... विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के सर्वे प्लॉट सं०-3686 (P), खाता सं०-2100, थाना सं०-01, मौजा-दीघा पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से अवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोग को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 1646.88 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 14.00 मीटर चौड़ाई (पश्चिम) से 6.15 (दक्षिण) के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रसंगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों को शुन्य वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) भवन उपविधि के कंडिका-09 के तहत नक्शा निर्गत करने में विलम्ब की पूरी जिम्मेवारी आवेदक/आर्किटेक्ट/बिल्डर की होगी।
Permission granted under section-9 of building bye laws shall remain valid up to three years from the date such a permission is granted.
- (ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।